भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2621

16 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में प्रधान-मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के क्रियान्वयन की स्थिति

2621 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिसंबर, 2025 तक आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधान-मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या निर्मित सभी आवास लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि यह योजना दिसंबर, 2025 में समाप्त हो गई थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2025 के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की कोई योजना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराये पर लेने

में सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 13.67 लाख आवासों सहित देशभर में कुल 125.15 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 116.57 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है; जिनमें से 97.30 लाख आवास 02.03.2026 तक बनाए गए/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 19.48 लाख आवासों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 31 दिसंबर 2025 तक केवल 11.20 आवास ही बनाए गए/ लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। राज्य के हिस्से की राशि जारी होने में देरी, मुख्य आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान में देरी और लाभार्थियों द्वारा धन जुटाने में देरी आदि जैसे कारकों के कारण राज्य में कार्यान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है।

निर्माणाधीन पीएमएवाई-यू आवासों को पूरा करने और एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधियाँ जारी करने के लिए इस योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसलिए, आंध्र प्रदेश राज्य को समय पर राज्य का हिस्सा उपलब्ध कराकर और आवधिक समीक्षाएँ करके निर्माणाधीन आवासों का कार्य 30 सितंबर 2026 से पहले पूरा करने में तेजी लानी चाहिए।

*****